

कार्यालय, निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना।

पत्रांक/ऑडिट 20/2 / LD-15-part-VII

दिनांक 08.04.2025



0612-2222020



sfocumdirector-bih@gov.in

सेवा में,

सरस्वती शिशु मंदिर,
बंदीपुर, रामगढ मोहनियाँ, ममुआ, कैमूर
(email id- rrdubey111@gmail.com)
Mob- 9931456974

विषय:- अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रमाणित किया जाता है कि सरस्वती शिशु मंदिर, बंदीपुर, रामगढ मोहनियाँ, ममुआ, कैमूर में अवस्थित है। अनुमण्डल अग्निशामालय पदाधिकारी, मोहनियाँ द्वारा दिनांक 09.01.2025 को अग्नि अंकेक्षण किया गया है। राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 एवं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के तहत लगाये गये अग्निशमन यंत्र एवं अन्य अग्नि सुरक्षा उपकरण पर्याप्त प्रतीत होते हैं।

अतः उक्त संस्थान का वार्षिक अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है। इसकी वैधता निर्गत की तिथि से एक वर्ष की होगी। संबंधित संस्थान के प्रबंधक/मालिक उक्त संस्थान के प्रमाण पत्र की वैध तिथि से पूर्व अग्नि अंकेक्षण कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त पर निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(विशाल शर्मा)

अपर निदेशक-सह-

सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:- 01. जिला समादेष्टा-सह-जिला अग्निशमन पदाधिकारी, ममुआ कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

02. अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी, मोहनियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(विशाल शर्मा)

अपर निदेशक-सह-

सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

रवीन्द्र